न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562, राज्य।

बनाम

ई–रिक्सा चैचिस नं0–M8EYHAA17HP005076

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **423/2020–21,**

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त ई–रिक्सा चैचिस नं0–M8EYHAA17HP005076 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 55/म0नि0 एवं दिनांक–13.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव विशेष वाद संख्या–626/2019, में जप्त ई–रिक्सा चैचिस नं0–M8EYHAA17HP005076 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–आरण भेलवा मुख्य मार्ग नहर के पास, थाना–सदर, घटना की तिथि– 25.12.2019 के साथ वर्णित है कि– "गश्ती के क्रम में संदेह के आधार पर ई–रिक्शा चेचिस नं0 M8EYHAA17HP005076 (बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर) की तलाशी लेने पर गाड़ी से आर0सी0 ब्रांड के 750 एम0एल0 तथा 375 एम0एल0 का क्रमशः 11 पीस तथा 05 पीस एवं आर0एस0 ब्रांड के 180 एम0एल0 का 88 पीस अर्थात् कुल 104 बोतल में 25.965 ली0 विदेशी शराब बरामद हुआ। माननीय न्यायालय के आदेश से 2.220 लीटर विदेशी शराब के नमूने को दिनांके–06.01.2021 को उत्पाद रसायन परीक्षक पटना को हस्तगत करा दिया गया है। अतः अनुरोध है कि उक्त ई–रिक्सा के अधिहरण के कार्रवाई के साथ शेष बचे 23.745 ली0 विदेशी शराब के विनष्ट करने की कृपा व अग्रतर आदेश दिया जाय।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करते जप्त ई–रिक्सा चैचिस नं0– M8EYHAA17HP005076 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। प्रतिवादी (वाहन मालिक) का नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त	

हुआ, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। संबंधित से नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। अंततः दिनांक 12.12.2020 को वाद अगली तिथि को एकपक्षीय सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को भी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त ई–रिक्सा चैचिस नं0–M8EYHAA17HP005076 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी (वाहन मालिक) के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय सुनवाई के अन्तर्गत राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त ई–रिक्सा से अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन का अधिहरण करना न्यायोचित एंव विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः उक्त जप्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण किया जाता है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 47 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 14.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।